संख्या-862/2018/1042/22-2-2018-17(199)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 20 नवम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवाकान्त मिश्रा पुत्र श्री सत्यदेव मिश्रा, निवासी जनपद-गोरखपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21771/प्रोबे0-5-दया0(बैठक 15.05.2018) दिनांक 14.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवाकान्त मिश्रा पुत्र श्री सत्यदेव मिश्रा, जो-ग्राम-खदरा, थाना गोला, जिला-गोरखपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 30.07.1979 को 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0न0 77/1981 धारा 302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश गोरखपुर के आदेश दिनांक 03.12.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.01.2018 तक 13 वर्ष 05 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 02 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। मेडिकल बोर्ड द्वारा बन्दी पूर्णरूप से स्वस्थ बताया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी का कारित अपराध की प्रकृति आयु के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिवाकान्त मिश्रा (बन्दी संख्या-44647) पुत्र श्री सत्यदेव मिश्रा, निवासी जनपद-गोरखपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-862/2018/1042(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in